न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–326/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00246)

1. श्रीमति भौरी देवी पुत्री स्व. श्री बद्री पत्नी स्व. श्री भौरी लाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत विधाणी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विधाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र सरवण जाति बलाई, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमति बीला देवी पत्नी स्व. श्री बद्री जाति बलाई, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर दक्षिण, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत विधाणी, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर में स्वर्गीय बद्री के हिस्सा 1/2 बाबत महेन्द्र पुत्र श्रवण के हक में तथाकथित वसीयत के आधार पर एकतरफा कार्यवाही के तहत अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए पटवारी हल्का से साज कर नामान्तरकरण संख्या 296 खोला गया है जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण निरस्ती बाबत अपील पेश की गई थी जो अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2017 को प्रथम दृष्टया प्रकरण अर्पालार्थी के पक्ष में पुष्ट होना मानते हुए उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया और इस आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकार होने से पूर्व तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र दे दिया गया था जिसे पंचायत को प्रेषित किया जाना पुष्ट होता है, प्रश्नगत नामान्तरकरण पर प्रार्थी को सुना जाना चाहिए था जो नहीं सुना गया, इसके पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा पेश लिखित बहस के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.11.2019 को अपीलाधीन निर्णय दिनांक पारित कर अपीलार्थीया की अपील को खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O.

अधिवक्ता अर्पालान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना, एकतरफा, आर्बीट्ररी, एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी पहलूओं को मद्देनजर रखे मात्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के लिखित बहस में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. बद्री की ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर में खसरा नम्बर 492 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.50 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 दर्ज खातेदारी रिकॉर्ड रहा है और स्व. बद्री की अपीलार्थीया प्राकृतिक जायन्दा पुत्री एकमात्र है, इस कारण स्व. बद्री की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीया ने तहसीलदार सांगानेर के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर स्वर्गीय बद्री की खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तरकरण स्वयं व स्व. बद्री की पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बीलादेवी के नाम हिस्सा अनुसार खोले जाने हेतु निवेदन किया और ग्राम पंचायत विधाणी में भी अपीलार्थीया ने इस भांति का एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी ग्राम पंचायत विधाणी को अपीलार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते जांच भिजवाया गया और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इसी भूमि बाबत स्वयं को स्व. बद्री द्वारा निष्पादित वसीयत के जरिये वसीयतधारी होना बताकर खातेदारी उसके नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया और प्रत्यर्थी संख्या 3 का पर्चा मौका भी इस प्रकरण में दर्ज किया गया जिस पर महेन्द्र और स्व. बद्री के तथाकथित पुत्र रामस्वरूप के भी हस्ताक्षर है और श्रीमति बीलादेवी ने स्वयं को स्व. बद्री की एकमात्र विधिक वारिस होना बताया जबकि अपीलार्थिया भी स्व. बद्री की पुत्री है और इस बिन्दु पर बिना किसी जांच के हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर साजिशी ढंग से ग्राम पंचायत विधाणी के सरपंच को अपने प्रभाव में लेकर बिना अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना जांच कराये प्रत्यर्थी संख्या 2 महेन्द्र के हक में प्रश्नगत नामान्तरकरण खोल दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी बिन्दुओं पर विचार किये और अपीलर्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना जांच किये जिस भांति प्रश्नगत नामान्तकरण खोला गया उस बाबत बिना कोई टिप्पणी किये ऐसे तथ्यों पर जो कि अभी न्यायिक कार्यवाहियों में निर्णित होने शेष है के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि विधान एवं न्यायिक दृष्टि से अवैध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 जिस वसीयत को अपने हक में निष्पादन होना बताता है वह भूमि स्वर्गीय बद्री की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होकर पैतृक संपत्ति रही और यह संपत्ति स्व. बद्री व उसके भाई श्रवण को अपने पिता हरबक्श पुत्र किशना से विरासत में विरासत नामन्तरकरण के रूप में प्राप्त हुई है इसके पश्चात् भी तथाकथित वसीयत में स्व. बद्री की वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित होना बताकर वसीयत बनवाई गई है, स्व. बद्री बरवक्त तथाकथित वसीयत अत्यंत वृद्ध व बीमार व्यक्ति थे, जो निरक्षर थे और इसी कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 महेन्द्र व उसके भाई रामस्वरूप ने षडयंत्रपूर्वक ढंग से वसीयत बनवा ली एवं स्व. बद्री की पत्नी यानि

अपीलार्थीया की मां श्रीमति बीलादेवी जो करीब 90 वर्ष की वृद्ध महिला है, को अपने नाजायज प्रभाव में लेकर अपीलार्थिया को पुत्री नही होने से इंकार कराना शुरू कर दिया है, जिस वसीयत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ है, वह वसीयत न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 26 जयपुर महानगर सांगानेर में निरस्त किये जाने की प्रार्थना के साथ अपीलार्थीया के दावा में विचाराधीन है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने टी.आई. प्रार्थना पत्र उनवानी भौरी देवी बनाम महेन्द्र व अन्य में टी.आई. खारिज के आदेश का उल्लेख करते हुए दीवानी न्यायालय के द्वारा वसीयत को सही मानने का निष्कर्ष अपीलाधीन निर्णय में पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपील के विचारण के प्रक्रम पर यह देखना था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत विधाणी ने कानूनी प्रावधानों की पूर्ण पालना कर प्रत्यर्थी संख्या 2 के हक में प्रश्नगत नामान्तरकरण सही ढंग से खोला है या नहीं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई मनन नहीं करके, ना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अवैध ढंग से जल्दबाजी में मनमाने तरीके से बिना अपीलार्थीया को सुनवाई का मौका दिये व बिना जांच किये जिस भांति नामान्तरकरण खोला उस प्रक्रिया पर कतई ध्यान दिये बिना ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों की ही अपीलाधीन निर्णय में पुनर्रावृति करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 296 अविधिक ढंग से बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये खोला गया क्योंकि प्रकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष विवादित था ऐसे में उसे निर्णित करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायत के पास नही थी उसे प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाना चाहिये था तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी पहलूओं की जॉच पश्चात् नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु हस्तगत प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तीय है।

अतः अपीलार्थिया की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 296 वाके ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर पारित सरंपच ग्राम पंचायत विधाणी का आदेश दिनांक 05.04.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान निर्णय पारित किये गये है व विधि का सिद्धान्त है कि द्वितीय अपील में तथ्य की बात पर

उज्र नही किया जा सकता जबकि अपीलार्थीया द्वारा पुरी अपील में तथ्य की बात पर ही जोर दिया गया है, लैसमात्र भी कानूनी पहलू या लॉ पाईन्ट पर कि कैसे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलीय आदेश दूषित है इसका उल्लेख नही किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया स्व. बद्री की अपने आपको पुत्री कहकर आ रही है जबकि अपीलर्थीया द्वारा बदनियति से नाम्नानरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है और स्व. बद्री का इकलौता पुत्र रामस्वरूप है जिसे पक्षकार तक अपीलार्थीया ने नही बनाया है जबकि न्यायालय सिविल न्यायालय ने वसीयत निरस्तीकरण के वाद में यह माना है कि स्व. बद्री के एकमात्र सन्तान पुत्र रामस्वरूप है, यह भी एक तथ्य है कि बीलादेवी ने नामान्तरकरण कार्यवाही, सिविल न्यायालय, फौजदारी प्रकरण या अन्य कोई भी कार्यवाही में सदैव स्व. बद्री के कोई लड़की ना होने का उल्लेख किया है व पुलिस द्वारा अपीलार्थीया को बद्री के पुत्री होने की बात अपनी तफतीश में नही मानकर एफ.आर. लगायी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने कथन किया है कि सिविल न्यायलाय के समक्ष वसीयत निरस्तीकरण के वाद पेश करने के पश्चात् जब रेस्पोडन्ट संख्या 3 व बद्री का पुत्र रामस्वरूप ने न्यायालय में आकर दिनांक 22.03.2017 को जवाब प्रस्तृत कर दिया व यह कह दिया कि अपीलार्थीया स्व. बद्री की पुत्री नही है तो अपीलार्थीया व उसके पुत्र रमेश ने एक कूटरचित सजरा खानदान गंगागुरू का दिनांक 25.03.2017 का स्व. बद्री की अपीलार्थीया का पुत्री होने का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत कर दिया जिस सम्बन्ध में गंगागुरू तक बात पहुँचने पर भौरीदेवी के पुत्र ने दिनांक 30.03. 2017 को उक्त सजरा खानदान असल गलती मानते हुये जल्दबाजी में गलत तैयार कराकर इन्द्राज कर लौटा दिया, दिनांक 05.06.2017 को गंगागुरू द्वारा सजरा खानदान पेश किया जिसमें बद्रीनारायण पुत्र रामस्वरूप का उल्लेख है, अपीलार्थीया स्व. बद्री की पुत्री होने का कोई उल्लेख नही है, अधीनस्थ न्यायालय व अपर सिविल जज क्रम संख्या 26 दोनों न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि अपीलार्थीया ने न्यायालय से गलत फायदा उठाने की मंशा से गलत सजरा खानदान न्यायालय में प्रस्तुत किया व दोनों न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीया की क्रमशः अपील व टी. आई प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने कथन किय है कि अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण आदेश में ग्राम पंचायत विधाणी द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रश्नगत खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में पूरी जांच कर बद्री के पुत्र रामसस्वरूप व पत्नी बीलादेवी से वसीयत की तस्दीक कराकर गवाहान से पुष्टि करके व अन्य लोगों से तस्दीक कर विधिवत रूप से नाम्नान्तरकरण खोला गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 ठौस आधारों पर सिविल न्यायालय ने अपने निर्ण दिनांक 21.10.2019 में स्व. बद्री की पुत्री भौरीदेवी अपीलार्थीया को नही माना है व ऐसी सूरत में जो मृतक बद्री की वारिस ही नही है, उसे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतय अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा भी कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. बद्री की पुत्री साबित होती हो, द्वितीयतः पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. बद्री पुत्र हरवक्स की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत विधाणी सांगानेर जिला जयपुर द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 296 वाके ग्राम पंचायत श्रीकिशनपुरा दिनांक 05.04.2017 स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वसीयत का किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या प्रभावशून्य घोषित किया गया हो। ऐसे में उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के ठोस आधार न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर दक्षिण जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।